

फर्द अहकाम

मालय

पुणे मंडळ

बनाम

राजेश

क्रमा संख्या / वर्ष

२२/२०११

:

/२०

दिनांक आज्ञा
या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

का विन्तु वृत्त प्रमाणित के पदार्थ
स्वीकृत करे चोता है दाता प्रमाणित
की ओर से केय प्रमाणित मस्काट नियम
मस्काट कर स्वोक्ति सिद्ध जाता है
प्रमाणित केवल असादर होकर ही न
ही सादर वादरात्मक होकर ही न

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)